

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 09 मार्च, 2026 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल।

III. ध्यानाकर्षण सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-5 जिसकी सूचना 1. श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए., 2. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.; तथा 3. श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए., द्वारा दी गई है।	आयुष्मान भारत-आयुष्मान हरियाणा योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बंद करने से संबंधित।
---	---

IV. वर्ष 2026-2027 के लिए बजट।

वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ।

V. विधायी कार्य।

(विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
06 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।